



भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नईदिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Dept. of Training and Personnel,
Staff Selection Commission
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

[आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर दिनांक 08.07.2022 को अपलोड करने हेतु]

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही {सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ) / टेलीप्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ)} परीक्षा, 2022

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथियां	08.07.2022 से 29.07.2022
ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	29.07.2022 (2300 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि एवं समय	29.07.2022 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय	30.07.2022 (2300 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	30.07.2022
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और संशोधन हेतु सुधार शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की तिथियां	02.08.2022 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	अक्टूबर, 2022

“सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है”

फा.सं. 3/2/2022-नीएवं यो-II - दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही {सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ) / टेलीप्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ)} की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। इस भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- 1.1 इस परीक्षा की विज्ञप्ति दिल्ली पुलिस द्वारा पुनरीक्षण के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर अधिसूचित की जाएगी। इस संबंध में एक नोटिस / लिंक दिल्ली पुलिस की वेबसाइट अर्थात् www.delhipolice.gov.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

- 1.2 दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही {सहायक वायरलेस ऑपरेटर (एडब्ल्यूओ) / टेलीप्रिंटर ऑपरेटर (टीपीओ)} की भर्ती के लिए ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रिक्तियों की सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को दी जाएगी।
- 1.3 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।
- 1.4 कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आवेदनों की संख्या के आधार पर 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा' (सीबीई) प्रणाली में अखिल भारतीय आधार पर परीक्षा आयोजित करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।
- 1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे और प्रवेश पत्र / प्रवेश प्रमाणपत्र के बारे में जानकारी से संबंधित एक 'नोटिस' दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।
- 1.7 प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुणा के बराबर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट की सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- 1.8 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) दिल्ली पुलिस द्वारा केवल दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। दिल्ली पुलिस, कर्मचारी चयन आयोग को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के लिए कार्यक्रम और केंद्र उपलब्ध कराएगी। इसके बाद, कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) में उपस्थित होने के लिए सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र / प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्रदान करेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशपत्र डाउनलोड करने के संबंध में नोटिस दिल्ली पुलिस को उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 1.9 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के आयोजन के बाद, दिल्ली पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कौशल / ट्रेड परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु, दिल्ली पुलिस कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए 'वेब-टूल' पर प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम को अद्यतित करेगी।
- 1.10 दिल्ली पुलिस सभी पदों के लिए कौशल परीक्षा /ट्रेड परीक्षा आयोजित करेगी। व्यवहार्यता के आधार पर, कौशल परीक्षा / ट्रेड परीक्षा का परिणाम या तो वेब-टूल पर अपलोड किया जाएगा या दिल्ली पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर्मचारी चयन आयोग को प्रदान किया जाएगा।
- 1.11 अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह, उनका सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।
- 1.12 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) और आवश्यक कौशल/ट्रेड परीक्षाओं में अर्हक घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची पद के लिए निर्धारित परीक्षणों / परीक्षाओं के सिर्फ मेरिट के आधार पर आयोग द्वारा तैयार एवं घोषित की जाएगी और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार योग्यता, श्रेणी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त अलावा 15% (श्रेणी-वार) अभ्यर्थियों का एक "रिजर्व पैनल / अतिरिक्त सूची" भी तैयार की जाएगी और उसे दिल्ली पुलिस को

सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। "रिजर्व पैनेल" दो साल की अवधि या अगली भर्ती के विज्ञापन, जो भी पहले हो, तक के लिए वैध होगा।

- 1.13 परीक्षा-विज्ञप्ति (शारीरिक मानकों, चिकित्सा मानकों, आयु, आरक्षण आदि से संबंधित भर्ती नियम संबंधी नीतिगत मुद्दों को छोड़कर), ऑनलाइन आवेदनों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित आरटीआई / लोक शिकायतों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जबकि भर्ती नियमों, स्थायी आदेशों और किसी भी परीक्षा / परीक्षा से संबंधित अन्य आरटीआई / लोक शिकायतों (जैसे दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित पीईएंडएमटी, चिकित्सा परीक्षा, कौशल परीक्षा / ट्रेड परीक्षा आदि) पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.14 परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन, पीईएंडएमटी या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट-लिस्टिंग और अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम तैयार किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा दिल्ली में दायर अदालती मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अन्य क्षेत्रों/ दिल्ली के बाहर दायर ऐसे अदालती मामलों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.15 अन्य सभी मुद्दों, जैसे- परीक्षा की रूप-रेखा, रिक्तियों की संख्या, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी), अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रहण और उनके सत्यापन, या दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से संबंधित अदालती मामले / आरटीआई / लोक शिकायतें, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई), समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.16 गलत सत्यापित डेटा या पीईएंडएमटी / मेडिकल फिटनेस स्थिति में परिवर्तन के कारण मेरिट/ चयन सूची / रिजर्व सूची में बदलाव (समावेशन / अनावेशन) के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.17 मेरिट / चयन सूची / रिजर्व सूची में से किसी भी अभ्यर्थी के गलत समावेशन / अनावेशन के कारण परिणाम में कोई भी बदलाव होने के मामले में, संशोधित परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।
- 1.18 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द करने की प्रक्रिया पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.19 दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित पीईएंडएमटी या कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा और कंप्यूटर (फॉर्मेटिंग) परीक्षा के दौरान किसी भी कदाचार या प्रतिरूपण आदि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

2. वेतनमान: वेतन स्तर-4 (25500-81100 रुपए)

3. **रिक्तियाँ** : रिक्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है :-

प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ)/(टीपीओ) - पुरुष

क्र.सं	श्रेणी	सामान्य/ अना.	आक व	अपिव	अजा	अजजा	योग

1	खुली	171	46	102	86	54	459
2	भूपू.सै.	21	06	13	10	07	57
3	विभागीय	21	06	13	10	07	57
	योग	213	58	128	106	68	573

प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ)/(टीपीओ) - महिला

क्र.सं	श्रेणी	सामान्य/ अना.	आक व	अपिव	अजा	अजजा	योग
1	खुली	96	26	57	47	30	256
	विभागीय	11	03	06	05	03	28
	योग	107	29	63	52	33	284

- 3.1 दिव्यांगजनों के लिए रिक्तियों के आरक्षण हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
- 3.2 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा। दिल्ली पुलिस की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- 3.3 'विभागीय' रिक्तियां दिल्ली पुलिस के स्थाई कांस्टेबलों से भरी जाएंगी।
4. **राष्ट्रीयता / नागरिकता:** अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।
5. **आयु सीमा:** 01.07.2022 को 18 से 27 वर्ष (अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02-07-1995 से पहले और 01-07-2004 के बाद न हुआ हो)। उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में सिर्फ निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी:-
 - 5.1 यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो अधिकतम 5 वर्ष तक।
 - 5.2 यदि कोई अभ्यर्थी अपिव श्रेणी से संबंधित है तो अधिकतम 3 वर्ष तक। यह छूट उन जातियों के लिए स्वीकार्य है जो केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित हैं।
 - 5.3 विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाओं और जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है, सामान्य श्रेणी के लिए 35 वर्ष (अपिव के लिए 38 वर्ष, अजा/अजजा के लिए 40 वर्ष) तक।
 - 5.4 रिक्तियों के विज्ञापन की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान खेल में राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले विशिष्ट पुरुष खिलाड़ियों / महिला खिलाड़ियों के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक। खेल का विषय जिसके लिए छूट उपलब्ध है, उसका उल्लेख **अनुबंध 'क'** में किया गया है। खेल प्रमाणपत्र **अनुबंध- 'ख' और 'ग'** में संलग्न प्रोफार्मा में जारी किया जाएगा, जिसमें राज्य/राष्ट्रीय खेल संघ के

सचिव द्वारा विधिवत सत्यापित अभ्यर्थी की फ़ोटो होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है और उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है, तो वह खंड 5.1 में निर्धारित छूट के अलावा ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के लिए पात्र है। वास्तव में, वह अधिकतम 10 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र है।

- 5.5 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 वर्ष, अपिव के लिए 43 वर्ष और अजा/अजजा के लिए 45 साल तक स्वीकार्य है। "विभागीय अभ्यर्थी" से अभिप्राय है कि व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस में नियमित और निरंतर तीन वर्ष की सेवा की हो, जो अन्यथा सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताओं को पूरा करता हो।
- 5.6 भूतपूर्व सैनिकों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। उन्हें अपनी वास्तविक आयु से सशस्त्र बलों में प्रदत्त सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति होगी, इस प्रकार प्राप्त परिणामी आयु, निर्धारित आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी 1: अपिव श्रेणी के तहत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपिव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में इस प्रयोजनार्थ अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। कोई अन्य प्रमाणपत्र पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। अपने दावे के समर्थन में, उनके पास पीईएंडएमटी के समय **अनुबंध-'घ' और 'ड'** के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पात्रता के अनुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। अपने दावे के समर्थन में, उनके पास पीईएंडएमटी के समय **अनुबंध-'च'** के रूप में संलग्न प्रारूप के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

टिप्पणी 4 : ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्म तिथि वही हो जो मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई हो और उसी जन्म-तिथि को आयोग द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.8 उपरोक्त पैरा 5.1 से 5.6 के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसर है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/ अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक(भू.सै.)	ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष

08	विशेष योग्यता प्राप्त पुरुष खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी जिन्होंने रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा/अजजा को छोड़कर)।	05 वर्ष
09	विशेष योग्यता प्राप्त पुरुष खिलाड़ी/महिला खिलाड़ी जिन्होंने रिक्तियों के विज्ञापन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा/अजजा)।	10 वर्ष
10	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित)	आयु 40 वर्ष तक
11	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अपिव)	आयु 43 वर्ष तक
12	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अज / अजजा)	आयु 45 वर्ष तक
13	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अना.)।	आयु 35 वर्ष तक
14	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अपिव.)।	आयु 38 वर्ष तक
15	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)।	आयु 40 वर्ष तक

6. **दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों / मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रितों के लिए छूट :**

6.1 सेवारत, सेवानिवृत्त, या दिवंगत दिल्ली पुलिसकर्मियों/ दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों/पुत्रियों, जो शारीरिक मानकसंबंधी सामान्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, के मामले में निम्नलिखित छूट स्वीकार्य हैं:-

1. ऊंचाई (पुरुष /महिला) : 5 सेंटीमीटर की छूट
2. सीना (केवल पुरुष) :5 सेंटीमीटर की छूट

6.2 यह छूट केवल दिल्ली पुलिस के उन कर्मियों / मल्टी-टास्किंग स्टाफ के पुत्रों/ पुत्रियों को ही दी जाएगी, जिन्हें दंड के रूप में बर्खास्तगी / निष्कासन / पद से हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा नहीं दी गई है।

नोट :1 दिल्ली पुलिस के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पहाड़ी क्षेत्र श्रेणी के पुलिस कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रित दोहरी छूट पाने के पात्र नहीं होंगे। वे या तो अपनी श्रेणी में या दिल्ली पुलिस के पुलिस कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रित (वार्ड) के रूप में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

नोट :2 इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल उस संबंधित जिला /यूनितों के उप पुलिस आयुक्त/ अपर उप पुलिस आयुक्त / सहायक पुलिस आयुक्त / मुख्यालय [पुलिस मुख्यालय स्टाफ के मामले में उप पुलिस आयुक्त / मुख्यालय (IV) या सहायक पुलिस आयुक्त/ सीआर/ पुलिस मुख्यालय] द्वारा संबंधित सेवा रिकार्ड के सत्यापन के पश्चात जारी **अनुबंध-'छ'** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनंतिम रूप से परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रमाणपत्र शारीरिक मापदंड परीक्षा के समय प्रस्तुत करना होगा ।

7. **भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा:** भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 14-04-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/5/85-स्था. (एससीटी) में यथा-परिभाषित भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा निम्नानुसार है:

"एक भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है और जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ / हुई है ; या

- i) जिनकी सेवा निवृत्ति पंजिका में भूतपूर्व सैनिक के रूप में पृष्ठांकन है ;या
- ii) जिसे चिकित्सा आधार पर अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो जोकि सैन्य सेवा के रूप में मानी जाए तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य निशक्तता पेंशन दी गई हो; या
- iii) जिसे कर्मचारियों की संख्या में कटौती के परिणामस्वरूप, स्वयं के अनुरोध के बिना ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो ; या
- iv) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के प्रादेशिक सेना के कार्मिक भी शामिल हैं :
 - क) निरंतर सन्निहित सेवा के पेंशन धारक,
 - ख) सैन्य सेवा के कारण निशक्त व्यक्ति; और
 - ग) वीरता पुरस्कार विजेता।

तथापि प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को दिनांक 15-11-86 से पूर्व सैनिक माना जाएगा ।

भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर सहायक वायरलेस ऑपरेटर / टेलिप्रिंटर ऑपरेटर के रूप में पुनः सूचीबद्ध होने के पात्र हैं, यदि उनके सेवा निवृत्ति प्रमाणपत्र में पिछली सेवा को अच्छा या उससे उच्चतर वर्गीकरण / ग्रेडिंग के रूप में दर्शाया गया हो, बशर्ते कि वे

खुली प्रतियोगिता हेतु सहायक वायरलेस ऑपरेटर / टेलिप्रिंटर ऑपरेटर के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप हों और समय-समय पर पुलिस आयुक्त द्वारा अनिवार्य स्थाई आदेश जारी करके निर्धारित क्षमता / दक्षता परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं। वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं।

नोट 1: ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ लेते हुए केंद्र सरकार (राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अधीन समूह 'ग' और 'घ' पदों पर नियमित आधार पर पहले ही रोजगार हासिल कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत शुल्क में छूट या आरक्षण के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं। तथापि वे केवल आयु में छूट के पात्र हैं।

नोट 2: सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

नोट 3: आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद / सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

स्पष्टीकरण

संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, उन्हें सेवावधि की निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होगा जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवा निर्मुक्ति की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होने की तिथि / सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि पूरी करने की तिथि आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। अनापत्ति प्रमाणपत्र में सशस्त्र बलों से सेवा मुक्ति की तारीख का उल्लेख नहीं होने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना कोई कारण बताए उनके आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

8. प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाणपत्रों का प्रारूप:

8.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति चाहते हैं या आयु में छूट चाहते हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा, टेड परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के दौरान ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाने पर उन्हें निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा कराना होगा। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव / दिव्यांगजन / भूपूसै श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता / आवेदन पर अनारक्षित (यूआर) / संबंधित श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

8.2 विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्रों के लिए महत्वपूर्ण तिथि शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) की तारीख को होगी।

- 8.3 अपिव वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति / समुदाय प्रमाणपत्र है और वह निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आता / आती है।
- 8.4 अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उपरोक्त के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता की पुष्टि होने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि यदि वे धोखा-धड़ी से अजा / अजजा / अपिव / आकव / भूपूसै होने का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

9. अनिवार्य योग्यता

(क) अनिवार्य योग्यता (आवेदनपत्र जमा करने की अंतिम तिथि को)

(i) विज्ञान और गणित विषय के साथ किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण।

या

मकैनिक-सह-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूनिक्शन सिस्टम के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट

(ii) व्यावसायिक उपलब्धियां:

कंप्यूटर प्रचालन में प्रवीणता अर्हक प्रकृति की है।

- अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग गति परीक्षा – 15 मिनट में 1000 की डिप्रेसन
- बेसिक कंप्यूटर फ्रंक्शन परीक्षा –

पीसी खोलना / बंद करना, प्रिंट करना, एम एस ऑफिस का प्रयोग, टंकित पाठ को सुरक्षित करना और उसमें संशोधन करना, पैराग्राफ सेट करना और क्रमांक डालना आदि।

- 9.1 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की आधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तदनुसार, यदि ऐसी डिग्री को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता नहीं दी गई है जब अभ्यर्थियों द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो, तो शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.2 भारत के राजपत्र के भाग-III (8)(v) में दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम) विनियम, 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं है। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा और अन्य बनाम एआईसीटीई और अन्य के मामले में डब्लू पी (सी) में एम ए सं. 3092/2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.03.2019 के आदेश के अनुसरण में बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इग्रू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, जहाँ कहीं भी लागू हो, उसे मान्य माना जाएगा।
- 9.3 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करने के साक्ष्य के रूप में इंटरमीडिएट / हायर सेकेंडरी/ 10 + 2 / सीनियर सेकेंडरी को पास करने के प्रासंगिक प्रमाणपत्र, जैसे- अंक-पत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। जो

अभ्यर्थी यह साबित करने में सक्षम होंगे कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख को या उससे पहले घोषित कर दिया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, उन्हें भी शैक्षिक योग्यता को पूरा करने में सक्षम माना जाएगा। **यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम बोर्ड / विश्व विद्यालय द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक केवल परिणाम तैयार किया जाना शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।**

- 9.4 पद के लिए शैक्षिक योग्यता और अन्य शारीरिक मानक वही होंगे जो ऐसे पद पर सीधी भर्ती के लिए नियमों में विहित हैं। दिल्ली पुलिस [नियुक्ति और भर्ती] नियम, 1980 में निर्धारित मामलों और तरीकों को छोड़कर स्थायी आदेश में प्रदान की गई छूट के अलावा अन्य किसी भी अर्हता या मानकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

10. एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्रोत्साहन :

10.1 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को प्रोत्साहन निम्नलिखित स्तरों पर दिया जाएगा:

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन / बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

नोट: यह लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात् पीईएंडएमटी) के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यह लाभ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

- 10.2 **अतिरिक्त अंकों का महत्व :** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो निम्नलिखित मापकों पर होंगे: -

डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी	दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक
विशेष योग्यता	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5 %
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4 %
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3 %
पास श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2 %

नोट : लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात् पीईएंडएमटी) के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

11. आवेदन कैसे करें:

- 11.1 आवेदन क.च.आ. मुख्यालय की वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन ही जमा किए जाने चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II देखें**। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदनपत्र का नमूना प्रपत्र क्रमशः **अनुबंध-I क** और **अनुबंध-II क** के रूप में संलग्न है।
- 11.2 ऑनलाइन आवेदनपत्र में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबीसे 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। **फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए**। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए।
- 11.3 **यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसका / उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के जो नमूने स्वीकार्य /अस्वीकार्य हैं, उन्हें अनुबंध-ड में दिया गया है।**
- 11.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **29.07.2022 (2300बजे)** है।
- 11.5 **अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमाकर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।**
- 11.6 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11.7 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।
12. **आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका:**
- 12.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (एक सौ रुपए मात्र)।
- 12.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), दिव्यांगजन श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 12.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है।
- 12.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक-**30.07.2022 (2300बजे)** तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **30.07.2022 तक** बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नकद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक **29.07.2022 (2300 बजे)** तक चालान बनवा लिया है।
- 12.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदनपत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 12.6 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

13. **आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [02.08.2022 (23:00 बजे)]:**

- 13.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्राविष्टियों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 13.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 13.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 13.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 13.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित / सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित / सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एकसमान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।
- 13.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेट्रो, रुपये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 13.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 13.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

14. **परीक्षा केंद्र :**

- 14.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में केंद्र (केंद्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देना चाहता / चाहती है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अंतर्गत ये परीक्षा केंद्र स्थित हैं, के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों और उनकी वेबसाइटों का पता
1	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211001 (www.ssc-cr.org)
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), धनबाद (4206), हजारिबाग (4204), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बरहामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), टैंकनाल (4611), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), बर्दवान (4404), दुर्गापुर (4426), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली एमएसओ बिल्डिंग, (8वीं मंजिल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 (www.sscer.org)
3	कवरत्ती (9401), बेलगावी (9002), बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), एर्नाकुलम (9213), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझीकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar.nic.in)
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, निवेश भवन, एलआईसी कैम्पस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 (www.sscmpr.org)
5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चुराचंदपुर (5502), इंफाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला-बशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)

6	देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)/ दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (www.sscnr.nic.in)
7	चंडीगढ़ / मोहाली (1601), अंबाला (1801), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) (1007) लेह (1005), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403)	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (उ.प.क्षे.)/ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (उ.प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, भूतल, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnr.org)
8	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 (www.sscsr.gov.in)
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाणा (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.)/ दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, साउथ विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 (www.sscwr.net)

- 14.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- 14.3 आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार भी है।

15. परीक्षा की रूप रेखा / भर्ती का तरीका:

चयन प्रक्रिया में दिए गए क्रम में निम्नलिखित अनिवार्य परीक्षाएं होंगी :-

क्र.सं	टेस्ट / परीक्षा	अधिकतम अंक / अर्हकारी
(i)	क.च.आ. द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा	100 अंक

(ii)	दिल्ली पुलिस द्वारा शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी)	अर्हकारी
(iii)	दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रेड परीक्षा	अर्हकारी
(iv)	<ul style="list-style-type: none"> दिल्ली पुलिस द्वारा अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षा गति - 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन बेसिक कंप्यूटर फंक्शन परीक्षा - पीसी खोलना / बंद करना, प्रिंट करना, एम एस ऑफिस का प्रयोग, टंकित पाठ को सुरक्षित करना और उसमें संशोधन करना, पैराग्राफ सेट करना और क्रमांक डालना आदि । 	अर्हकारी

- 15.1 भूतपूर्व सैनिकों सहित सभी अभ्यर्थियों (महिला और पुरुष) को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होने वाली डेढ़ घंटे **(90 मिनट)** की अवधि की कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी ।
- 15.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें **100 अंकों** के 100 प्रश्न होंगे।
- 15.3 गलत उत्तर के लिए **'कोई अंक नहीं काटा जाएगा'** ।
- 15.4 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषयों पर प्रश्नपत्र केवल **हिंदी और अंग्रेजी** में होंगे :-

विषय		प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
भाग- क	सामान्य जानकारी	20	20
भाग-ख	सामान्य विज्ञान	25	25
भाग- ग	गणित	25	25
भाग-घ	तर्क शक्ति	20	20
भाग-ड.	कंप्यूटरके मूल सिद्धांत, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब ब्राउजर आदि	10	10
कुल		100	100

नोट : प्रश्नपत्र का स्तर / मानक 12 वीं कक्षा के समकक्ष होगा ।

- 15.5 विज्ञप्ति में दी गई परीक्षा की तिथियां अनंतिम हैं। परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी।
- 15.6 परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा । इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी ।
- 15.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
- 15.8 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा प्रकाशित **दिनांक 07-02-2019** की विज्ञप्ति संख्या: **1-1/2018-नी.एवं यो-1** के तहत प्रकाशित सूत्र का प्रयोग करके सामान्यीकृत किया

जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

- 15.9 परीक्षा के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर-कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजियों को देख सकते हैं और यदि कोई अभ्यावेदन देना चाहे तो आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर, 100/- रुपये प्रति प्रश्न की दर से भुगतान करके, ऑनलाइन माध्यम से अभ्यावेदन दे सकते हैं। उत्तर-कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले, उत्तर-कुंजियां अपलोड करने के समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर-कुंजियों से संबंधित ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। किसी अन्य तौर-तरीकों, जैसे- पत्र, आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

16. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए निर्देशात्मक पाठ्यक्रम:

(क) सामान्य जानकारी: प्रश्नों को अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्नों को सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी डिजाइन किया गया है, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इन्हें किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) सामान्य विज्ञान:-

भौतिकी: थर्मोडायनामिक्स, यांत्रिकी, न्यूटन के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, गति, दबाव, माप की इकाइयाँ, ध्वनि, ऊष्मा और तापमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, चुंबकत्व, ओम का नियम, संख्या प्रणाली, फाइबर ऑप्टिक्स, संचार के तरीके आदि जैसे विषयों की बुनियादी अवधारणाओं को समझें।

रसायन विज्ञान: रोजमर्रा की जिंदगी का रसायन विज्ञान, आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन, महत्वपूर्ण उत्प्रेरक, प्रतिक्रियाएं, रसायनों के वाणिज्यिक अनुप्रयोग रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, परिभाषा आधारित प्रश्न, एसिड (सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड), परमाणु संख्या, तत्व और उनके प्रतीक और इलेक्ट्रो रसायन आदि।

(ग) गणित: संख्या प्रणाली, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि और बट्टा, समय, दूरी और कार्य, बीजगणित (समीकरण, सर्दिस, सूचकांक, रेखांकन), ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, डेटा व्याख्या, अनुक्रम और श्रृंखला, क्रमपरिवर्तन एवं संयोजन और सरलीकरण।

(घ) तर्कशक्ति: गैर-शाब्दिक तर्क (आंकड़े), सादृश्य, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, नंबर सीरीज़, क्रिटिकल थिंकिंग, कोडिंग और डी-कोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट-आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज़्म, टेबल, डायरेक्शन/रैकिंग टेस्ट, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेजमेंट, कोडेड असमानताएँ और डेटा पर्याप्तता।

(ङ) कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, संचार, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब (डबल्यूडबल्यूडबल्यू) और वेब ब्राउजर आदि।

इस प्रश्नपत्र में निम्नलिखित पर प्रश्न होंगे :

1. वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व [वर्ड प्रोसेसिंग प्रारंभिक, दस्तावेज को खोलना और बंद करना, पाठ रचना (टेक्स्ट क्रीएशन), पाठ स्वरूपण (टेक्स्ट का फॉर्मेट करना) और इसके प्रस्तुतीकरण की विशेषताएं (प्रेजेन्टेशन फीचर्स)]।
2. एमएस एक्सेल (स्प्रेड शीट के तत्व, सेल्स का संपादन, कार्य और सूत्र)।
3. संचार (ई-मेल की मूल बातें, ई-मेल भेजना/प्राप्त करना और उससे संबंधित कार्य)।

4. इंटरनेट, डबल्यूडबल्यूडबल्यू और वेब ब्राउजर (इंटरनेट, इंटरनेट पर सेवाएं, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेब साइट, ब्लॉग, वेब ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग, ई-बैंकिंग) आदि।

17. पीईएंडएमटी में बैठने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा

17.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।

17.2 प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य /अजा /अजजा /अपिव/ ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक (श्रेणी- वार) में रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुणा के बराबर कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मेरिट की सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीई एवं एमटी) में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। यदि कट-ऑफ अंकों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, तो संबंधित श्रेणी के लिए उस कट-ऑफ के सभी अभ्यर्थियों को पीई एवं एमटी के लिए बुलाया जाएगा।

17.3 उपरोक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य/ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों, 35% अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, कुल मिलाकर 30% अंक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक को परीक्षा में उत्तीर्ण माना जा सकता है। यदि अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से प्राप्त न्यूनतम अंक कम कर सकता है।

18. शारीरिक क्षमता परीक्षा (अर्हक) :

क) पुरुष अभ्यर्थी:

भूतपूर्व सैनिकों और विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार होगी:

आयु	दौड़: 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	07 मिनट	12½ फीट (12'6")	3½ फीट (3'6")
30 से 40 वर्ष तक	08 मिनट	11½ फीट (11'6")	3¼ फीट (3'3")
40 वर्ष से ऊपर	09 मिनट	10½ फीट (10'6")	3 फीट

टिप्पणी: वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में से किसी भी एक अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

ख) महिला अभ्यर्थी:

विभागीय अभ्यर्थियों और विधवा/ तलाक़शुदा/ न्यायिक रूप से अलग हुई महिला अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित महिला अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार होगी:

आयु	दौड़ : 800 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	05 मिनट	9 फीट (9')	3 फीट (3')
30 से 40 वर्ष तक	06 मिनट	8 फीट (8')	2½ फीट (2'6")

40 साल से ऊपर	07 मिनट	7 फीट (7')	2¼ फीट (2'3")
---------------	---------	---------------	------------------

टिप्पणी 1:-वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में से किसी भी एक अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

टिप्पणी 2:-"महिला अभ्यर्थी, जो पीई एंड एमटी के समय या तो गर्भवती हैं, या एक बच्चे को जन्म दिया है या गर्भपात हो गया है, उन्हें शारीरिक क्षमता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्हें प्रसूति समाप्त होने तक अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब तक ऐसे मामलों का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जा सकता है और रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा।

प्रसूति की समाप्ति के छह सप्ताह बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के लिए उसकी फिर से जांच की जाएगी, जो एक पंजीकृत चिकित्सक से फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

प्रसव की अवधि निम्नानुसार होगी:-

- बच्चे को जन्म देने से छह महीने तक।
- गर्भपात की तिथि से 45 दिनों तक।

यदि उसे पीई एंड एमटी के दौरान अर्हक घोषित किया जाता है, तो उसका परिणाम मेरिट के अनुसार घोषित किया जाएगा। उन्हें आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित सरकार के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता के लाभ की अनुमति दी जाएगी।"

19. शारीरिक मापदंड: शारीरिक मापदंड परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की ली जाएगी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापदंड का मानक निम्नानुसार होगा:

क) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए:-

(क) ऊंचाई:- 170 सेमी., इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

- पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र **(पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र)** प्रस्तुत करना होगा)। प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुबंध-‘छ’** पर संलग्न है।
- दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

(ख) सीना: 81 सेमी. - 85 सेमी. (न्यूनतम 4 सेमी विस्तार के साथ), इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

- पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, जिसके लिए उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

ख) महिला अभ्यर्थी:-

(क) ऊंचाई:- 157 सेमी., इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

- (i) पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसील द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र(पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत करना होगा)।
- (ii) दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ की पुत्रियों के लिए।

20. चिकित्सा मानक:

- (क) अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई शारीरिक दोष विकृति या बीमारी नहीं होनी चाहिए।
- (ख) बेहतर आँख 6/6 बिना चश्मे के। बदतर आँख 6/36 चश्मे से ठीक की गई 6/9 या 6/12 बिना चश्मे के (दोनों आँखें)। अभ्यर्थी को वर्णान्धता से मुक्त होना चाहिए।

21. शारीरिक क्षमता और मापन परीक्षा (पीईएंडएमटी)

- 21.1 केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) के लिए बुलाया जाएगा।
- 21.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पीई एंड एमटी का आयोजन 03 केंद्रों नामतः दिल्ली पुलिस अकादमी परिसर/ वजीराबाद, दिल्ली अकादमी परिसर-II / झरोदा कलाँ और न्यू पुलिस लाइन, किंग्स वे कैम्प, दिल्ली में किया जाएगा।
- 21.3 पीई एवं एमटी में उपस्थित होने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को पहले अधिग्रहित क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) में रिपोर्ट करनी चाहिए। अधिग्रहित क्षेत्र के कर्मचारी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो की जांच करेंगे ताकि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतिरूपण न किया जा सके। इसके बाद अभ्यर्थियों को चेस्ट नंबर आवंटित किया जा सकता है और आधिकारिक स्टाफ (होल्डिंग स्टाफ) दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए बैच तैयार करेगा।
- 21.4 अधिग्रहित क्षेत्र (होल्डिंग एरिया) में अभ्यर्थियों का सत्यापन / पहचान करने के बाद, अभ्यर्थियों को एक चेस्ट नंबर दिया जाएगा और आधिकारिक स्टाफ (होल्डिंग स्टाफ) दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए बैच तैयार करेगा।
- 21.5 दौड़ में अभ्यर्थियों पर आर एफ आई डी टैग (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग) का प्रयोग किया जाएगा।
- 21.6 डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी।
- 21.7 आयु, शिक्षा, अजा / अजजा / अपिव / आकव, पहाड़ी क्षेत्रों, अनापत्ति प्रमाणपत्र / सेवा निवृत्ति प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में), खेलों से संबंधित प्रमाणपत्र, छूट चाहने वाले दिल्ली पुलिस कर्मियों के आश्रितों (पुत्रों / पुत्रियों) को जारी प्रमाणपत्र आदि मूल दस्तावेज / प्रमाणपत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के जाँचे जाएंगे जिन्होंने पीई एवं एमटी (दौड़, लंबी / ऊंची कूद और शारीरिक माप) की सभी प्रतिस्पर्धाओं में सफलता प्राप्त की है। पीई एवं एमटी के समय अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच करने के लिए उन्हें सभी दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की स्वः सत्यापित प्रतियां पीई एवं एमटी शीट के अनुसार जमा करनी होंगी।

21.8 यदि कोई अभ्यर्थी पीई एंड एमटी प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। तथापि उसे 05 कार्य दिवसों के भीतर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जा सकता है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद योग्यता के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता पर फिर से विचार किया जाएगा।

21.9 पीई एंड एमटी प्रक्रिया का परिणाम प्रत्येक अभ्यर्थी को यथोचित रसीद के तहत प्रदान किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से अर्हता / अनर्हता दर्शाई जाएगी। तथापि, अनर्हता/ अस्वीकरण का कारण स्पष्ट किया जा सकता है। अर्हता / अनर्हता के मामले में "अर्हक पर्ची" / "अस्वीकरण पर्ची" की पावती की एक प्रति भी रिकॉर्ड में रखी जाएगी।

22. **शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए अपीलीय बोर्ड:** शारीरिक मापदंड (ऊंचाई और सीना) के खिलाफ अभ्यर्थियों द्वारा दायर अपील पर विचार करने और उसी दिन पुनः माप करने के लिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रत्येक स्थल के लिए एक अपीलीय बोर्ड जिसमें एक संयुक्त पुलिस कमिश्नर/ अपर पुलिस कमिश्नर और उपयुक्त रैंक के एक या अधिक अधिकारी (अधिकारियों) शामिल होंगे, का गठन किया जाएगा।

23. ट्रेड परीक्षा (अर्हकारी)

(i) शारीरिक दक्षता और मापदंड परीक्षा (पीई एंड एमटी) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। **कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता** में उपस्थित होने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड परीक्षा अनिवार्य होगी। जो ट्रेड परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या उत्तीर्ण नहीं करते हैं उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ii) **ट्रेड टेस्ट (रीडिंग और डिक्टेशन)** संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी की क्षमता का आकलन करना है। यह परीक्षा पढ़ने और श्रुतलेख के रूप में ली जाएगी। श्रुतलेख, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, अभ्यर्थियों को समूहों में दिया जाएगा, जिसमें एक समूह में श्रुतलेख लेने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्त संख्या होगी। हिंदी या अंग्रेजी श्रुतलेख में 50% से अधिक गलतियाँ करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। पठन परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए पाठ से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक अंश पढ़ने की आवश्यकता होगी, जिसकी वीडियोग्राफी की जाएगी।

(iii) ट्रेड परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा दायर अपीलों पर, यदि कोई हो, एक अपीलीय बोर्ड विचार करेगा।

24. **कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता परीक्षा (अर्हकारी):** ट्रेड टेस्ट (पाठ एवं श्रुतलेख) उत्तीर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों को **कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता** की परीक्षा के लिए उपस्थित होना आवश्यक होगा जो अर्हक प्रकृति की होगी (i) अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड परीक्षा- 15 मिनट में 1000 की- डिप्रेसन (ii) बुनियादी कंप्यूटर कार्यों की परीक्षा (कंप्यूटर को चालू/बंद करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस का उपयोग, टाइप किए गए पाठ में सेविंग और संशोधन, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग आदि)।

(i) **अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड परीक्षा**

अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड परीक्षा- 15 मिनट में 1000 की-डिप्रेसन कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी और निर्णय 200 शब्दों के अंग्रेजी में मुद्रित पैसेज के अनुसार शब्दों/की-डिप्रेसन की सही प्रविष्टि के आधार पर किया जाएगा, जो प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी एमएस ऑफिस के वर्ड फॉर्मेट में कंप्यूटर में प्रविष्ट करेंगे।

मूल्यांकन की प्रक्रिया:-

अवधि

15 मिनट

(i) कुल स्ट्रोकस/5

शब्द

(ii) कुल शब्द/ परीक्षा का समय
त्रुटियाँ

200 शब्द/ 15 मिनट

प्रत्येक त्रुटि के लिए एक शब्द

छोड़ना, प्रतिस्थापन, विराम चिह्नों का जोड़, 'अक्षर' की गलत टाइपिंग अर्थात "छोटे अक्षर" के बजाय "कैपिटल लेटर" और इसके विपरीत, एक शब्द में अंतराल और दो शब्दों के बीच अधिक अंतराल और पैराग्राफ (पैराग्राफों) न बनाना।

टिप्पणी: जो अभ्यर्थी 25 या अधिक गलतियाँ करेंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(ii) **बुनियादी कंप्यूटर कार्यों की परीक्षा:-** (कंप्यूटर को चालू/ बंद करना, प्रिंटिंग, एमएस ऑफिस का प्रयोग, टाइप किए गए पाठ में सेविंग और संशोधन, पैराग्राफ सेटिंग और नंबरिंग आदि)।

निम्नलिखित प्रारूपण सुविधाओं (फॉर्मेटिंग फीचर्स) की परीक्षा ली जानी चाहिए:

एमएस वर्ड		समय :05 मिनट	
(i)	रेखांकित करना	(vi)	पृष्ठ संख्या अंकन (पेज नंबरिंग)
(ii)	विभिन्न प्रकार का फ़ॉन्ट उपयोग करना	(vii)	तालिका बनाना / पाठ के बीच में तालिका को जोड़ना
(iii)	पैराग्राफ संख्या सम्मिलित करना	(viii)	बुलेट / संख्या अंकन
(iv)	टेक्स्ट को बड़े अक्षरों (बोल्ड) में करना	(ix)	केस बदलना
(v)	विभिन्न फ़ॉन्ट आकार का उपयोग	(x)	पैराग्राफ की सेटिंग

एमएस-पावरपॉइंट		समय :05 मिनट	
(i)	टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करें	(vi)	क्लिप आर्ट सम्मिलित करें
(ii)	चार्ट सम्मिलित करें	(vii)	स्लाइड में संख्यांकन (नंबरिंग)
(iii)	वर्डआर्ट के साथ टेक्स्ट बनाएं	(viii)	चित्र सम्मिलित करें
(iv)	स्लाइड की पृष्ठभूमि शैली (बैकग्राउन्ड स्टाइल)	(ix)	बुलेट / संख्या अंकन
(v)	स्लाइड का डिजाइन	(x)	पाठ का संरेखण

एमएस-एक्सेल		समय :10 मिनट	
(i)	खानों को मिलाएं (सेल्स मर्ज करना)	(vi)	फ़ॉन्ट की शैली (फ़ॉन्ट स्टाइल)
(ii)	टेक्स्ट को केंद्र में रखें	(vii)	फ़ॉन्ट का रंग (फ़ॉन्ट कलर)
(iii)	टेक्स्ट के रूप में केंद्र संरेखित करें	(viii)	बोल्ड टेक्स्ट
(iv)	आकृतियाँ बनाएं	(ix)	टेक्स्ट को रेखांकित करें
(v)	फ़ॉन्ट का आकार	(x)	तिरछे (इटैलिक्स) अक्षर

उपरोक्त सूचीबद्ध फॉर्मेटिंग की 10 विशेषताओं की परीक्षा की जा सकती है प्रत्येक परीक्षण में फॉर्मेटिंग की प्रत्येक विशेषता के लिए 1/2 अंक होगा। **फॉर्मेटिंग विशेषताओं के मामले में यदि अभ्यर्थी नमूने के अनुसार फारमेटिंग करते हैं, तो प्रत्येक के लिए 1/2 अंक दिया जाएगा। अन्यथा कोई अंक नहीं दिया जाएगा।** प्रत्येक परीक्षा के लिए फारमेटिंग विशेषता हेतु 05 अंकों में से अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 3 अंक प्राप्त करने चाहिए। संपादन सुविधा (एडिटिंग टूल्स) के उपयोग से अभ्यर्थियों द्वारा गलतियों को सुधारने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा के लिए 05 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। अभ्यर्थी को उसी तरह से प्रारूपित करना होगा जैसा कि आपूर्ति किए गए हैंड-आउट में है और इसे प्रिंटर में प्रिंट करना होगा।

25. बराबरी (टाई) के मामलों का समाधान

ऐसे मामले में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा: -

- अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- यदि जन्म तिथि और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंक भी समान हैं, तो वर्णानुक्रम क्रम, जिसमें अभ्यर्थी का प्रथम नाम आता है, के आधार पर मामले का निर्णय किया जाएगा।

26. अंतिम परिणाम की घोषणा

- 26.1 कंप्यूटर संचालन परीक्षा में अर्हक घोषित अभ्यर्थियों की सूची में से अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची (विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अनुसार) (श्रेणी-वार), कंप्यूटर आधारित परीक्षा (100 अंक) की योग्यता और प्रोत्साहन/ बोनस अंक/ वेटेज (यदि कोई हो) के आधार पर तैयार और घोषित किया जाएगा। अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त उनकी योग्यता/ श्रेणी-वार के अनुसार 15% अभ्यर्थियों का "रिजर्व पैनल" भी तैयार किया जाएगा।
- 26.2 अजा / अजजा / अपिव वर्गों के अभ्यर्थी, जो अन्य समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के साथ, बिना किसी छूट के मानकों के अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, उन्हें रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अजा, अजजा और अपिव अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य /अनारक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा, जिसमें अजा, अजजा, अपिव वर्ग के वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिनकी योग्यता अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में चयनित अंतिम सामान्य अभ्यर्थी की तुलना में कम है, परंतु छूट के मानकों के अनुसार वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।
- 26.3 आकव श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को एक अनारक्षित रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु प्रतिस्पर्धा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आकव श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है न कि आरक्षण के आधार पर, उन्हें आरक्षण के लिए निर्धारित कोटे में नहीं गिना जाएगा।
- 26.4 अभ्यर्थियों का चयन अनंतिम रूप से उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन और पद के लिए निर्धारित मेडीकल फिटनेस के अधीन किया जाएगा। सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों को छिपाने / गलत बयानी के परिणाम स्वरूप अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। यदि सत्यापन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के तथ्यों को छिपाने / गलत बयान बयान देने का पता चलता है, तो अभ्यर्थी के खिलाफ एस.ओ. संख्या एचआरडी/12/2022 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और वह अपने प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि को राज्य के खजाने को वापस करने के लिए भी उत्तरदायी होगा/होगी। उन्हें दिल्ली पुलिस में सेवा देने से भी वंचित कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- 26.5 बड़ी संख्या की भर्तियों में, जब भी वांछनीय और आवश्यक लगे, भर्ती प्रक्रिया के अंत में, अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या के अतिरिक्त उनकी योग्यता/ श्रेणी-वार के अनुसार 15% अभ्यर्थियों का "रिजर्व पैनल" भी तैयार किया जाएगा। उनके लिए श्रेणी-वार रिक्तियों को भरने हेतु विचार किया जाएगा, जो मुख्य सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के किसी भी कारण से विभाग में कार्यग्रहण नहीं करने से उत्पन्न हो सकती हैं, यथा- (i)चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त होने के कारण (ii) प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (iii) अन्यथा विभाग में कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं (iv) नियुक्ति के लिए पात्र नहीं पाए गए (v) पद ग्रहण करने के लिए एक वर्ष के भीतर चयनित अभ्यर्थियों के त्यागपत्र या मृत्यु आदि के कारण अगली भर्ती किए जाने तक। इन अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए अधिसूचित रिक्तियों के

लिए नियुक्ति हेतु कोई दावा या अधिकार नहीं होगा। वे नियुक्ति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ऊपर बताए गए कारणों से चयनित अभ्यर्थियों के विभाग में शामिल नहीं होने के परिणामस्वरूप कोई रिक्ति (श्रेणी वार) उत्पन्न होती है। श्रेणीवार योग्यता सूची के अनुसार रिक्तियों को कड़ाई से भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस सूची के किसी भी अभ्यर्थी पर किसी भी भावी अन्य रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त कारणों से रिक्तियां होने पर ही इस सूची से अभ्यर्थियों को सरकारी औपचारिकताओं अर्थात् पुलिस सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण आदि के लिए बुलाया जाएगा।

- 26.6 अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी के साथ स्थिति अर्थात् नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, श्रेणी चिकित्सा परीक्षा की स्थिति, पुलिस सत्यापन और कार्यग्रहण की तारीख आदि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 26.7 "नियुक्ति का प्रस्ताव" पत्र प्राप्त करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को "बुलावा पत्र (कॉल लेटर)" जारी किया जाएगा। यह पत्र चयनित अभ्यर्थियों को सभी अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही जारी किया जाएगा, जो की मेडिकल फिटनेस, चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और दस्तावेजों की अंतिम जांच आदि के अध्यक्षीन है।
- 26.8 "नियुक्ति का प्रस्ताव" पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा केवल उस अभ्यर्थी को ही जारी किया जाएगा, जिसने सफलतापूर्वक सभी अपेक्षित दस्तावेज (मूल रूप में) जमा कर दिए हैं।
- 26.9 इसके बाद, "अनुबंध प्रपत्र/ बांड" (एफ-81) अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जिसे वे प्रशिक्षण में शामिल होने के समय जमा करेंगे।

टिप्पणी:- सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामले, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है / जांच लंबित है / न्यायालय में मामला विचाराधीन है, पर एस.ओ. सं. एचआरडी/12/2022 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के मद्देनजर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों, जिनके खिलाफ कोई डीई/ पीई/ आपराधिक मामला/ सतर्कता जांच आदि लंबित है, से संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने तक लंबित रखा जाएगा और उन मामलों पर अंतिम फैसला होने के पश्चात ही उनके संबंध में उपयुक्तता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

27. परीक्षा में प्रवेश:

27.1 सभी अभ्यर्थी, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं तथा जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दिए गए निबंधन और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किया जाएगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा। तत्पश्चात, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेशपत्र जारी किया जाएगा।

27.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पदों के लिए पात्र हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय उनसे समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। संवीक्षा करते समय यदि आवेदन में किया गया दावा सही नहीं पाया जाता है तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

27.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र आयोग के क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों

को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

27.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से दो सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपने ब्योरे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

27.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

27.6 प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

27.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

27.7.1 आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट,

27.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,

27.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

27.7.4 पैन कार्ड,

27.7.5 पासपोर्ट,

27.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र

27.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)

27.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका

27.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र

27.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27.9 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

27.10 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

28. दस्तावेज सत्यापन

28.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर शार्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जो पीई एंड एमटी (अर्थात दौड़, लंबी / ऊंची कूद और शारीरिक दक्षता एवं मापदंड) के सभी आयोजनों में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें यथा उल्लिखित पैरा 28.3 के अनुसार मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

28.2 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान यथा उल्लिखित पैरा 27.7 में सूचीबद्ध अनुसार दो पासपोर्ट आकार की हाल ही की रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचानपत्र साक्ष्य लाना होगा।

- 28.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी जैसे:
- 28.3.1 मैट्रिक / माध्यमिक प्रमाण पत्र।
- 28.3.2 आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- 28.3.3 जाति / श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है।
- 28.3.4 पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र (अनुबंध-छ), यदि लागू हो।
- 28.3.5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए (भूपूसै) के लिए;
- 28.3.6 **अनुबंध-ट** के अनुसार सेवारत रक्षा कर्मी का प्रमाणपत्र / अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- 28.3.7 **अनुबंध-ठ** के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का वचनपत्र।
- 28.3.8 कार्यमुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र, यदि सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त किया गया है।
- 28.3.9 प्रासंगिक प्रमाणपत्र, यदि आयु में छूट की मांग करता है।
- 28.3.10 दिल्ली पुलिस कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के आश्रितों को जारी किया गया आश्रित प्रमाण पत्र (**अनुबंध-ज**), यदि लागू हो।
- 28.3.11 आरआरयू प्रमाण पत्र।
- 28.3.12 यदि लागू हो तो, खेल प्रमाणपत्र।
- 28.3.13 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों के संबंधी प्रमाण पत्र (**अनुबंध-झ**), यदि लागू हो।
- 28.3.14 सरकार / सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 28.3.15 यदि लागू हो, एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी।
- 28.3.16 यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:
- 28.3.16.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 28.3.16.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 28.3.16.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 28.3.16.4 "विधवा/ तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पतियों से अलग महिलाओं के तहत उपलब्ध छूट का प्रमाण।
- 28.3.16.5 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।
- 28.3.17 पीईएंडएमटी / दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

29. चयन का तरीका:

- 29.1 चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सी.बी.ई), शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षा (पीईएंडएमटी), टेड टेस्ट और कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता परीक्षा, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का पुलिस सत्यापन, और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

29.2 उन सभी अभ्यर्थियों को जिनका ऑनलाइन आवेदन सही पाया जाएगा उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का संचालन सिर्फ कंप्यूटर आधारित प्रणाली में करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रवेश-पत्र कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

29.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल **अंग्रेजी और हिन्दी** में ली जाएगी।

29.4 पीई एंड एमटी अर्हक प्रकार के होंगे।

29.5 पीई एंड एमटी की सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (अर्थात् अभ्यर्थियों से अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का संग्रह और उनका मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन) का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा पीई एंड एमटी के समय किया जाएगा।

29.6 परीक्षा के सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

29.7 अजा, अजजा, अपिव और ई.डब्ल्यू.एस श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों या उनकी श्रेणियों के लिए निर्धारित रिक्तियों, जो भी उनके लिए फायदेमंद हो, में समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, आपिव, एवं ई.डब्ल्यू.एस, एवं भू.सै. श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

29.8 अजा, अजजा, अपिव, आकव और भूपू.सै अभ्यर्थी, जो छूट के मानकों आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, अवसरों की अनुमत संख्या, अपेक्षाकृत अधिक छूट आदि के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति के बावजूद, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों के बजाय आरक्षित रिक्तियों के लिए गिना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए योग्यता के क्रम में उनकी रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक, आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए शिथिल मानकों पर भी सिफारिश की जा सकती है। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की आयु से सैन्य सेवा में उनकी प्रदत्त सेवावधि की कटौती अनुमेय है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में मानकों में छूट के रूप में नहीं गिना जाएगा।

29.9 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

29.10 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

29.11 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषणा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

29.12 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीई एंड एमटी, ट्रेड परीक्षा, कंप्यूटर

संचालन में प्रवीणता और चिकित्सा परीक्षा से पहले अथवा बाद में साथ ही नियुक्ति पत्र जारी होने/ सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी, जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

30. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

30.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर पुस्तिका लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचना दिए परीक्षा स्थल से बाहर जाना।	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन/ सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों पर भी काम कर रहा है।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेयास्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेयास्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

30.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फोरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

31. **कर्मचारी आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची तैयार करने, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

32. हटा दिया गया (अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के क्रम संख्या 30 में 'No' चुनने की सलाह दी जाती है। यदि अभ्यर्थी 'Yes' का चयन करता है तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा।)

33. **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उन न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों के अधीन होगा जिनके क्षेत्राधिकार में आयोग के वे संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं, जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं।

34. **योग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

35. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2	अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा शा.द. एवं मा.प. के समय किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। शा.द एवं मा.प.के समय जब दस्तावेजों के संवीक्षा करने के दौरान यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
4	अजा/अजजा/अपिव/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने या अन्य कोई छुट पाने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। शा.द एवं मा.प के दौरान मांगे जाने पर उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
5	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। सामान्यतः आयोग/दिल्ली पुलिस को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
6	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता(किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।

7	अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
8	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक/ फैक्स/ ई-मेल/ स्वयं आकर आदि जमा किए ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
9	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग/ दिल्ली पुलिस अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
10	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में नवीनतम दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपसू की सेवा निवृत्ति पंजिका या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान-पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। यदि जन्मतिथि के समर्थन में लाए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण-पत्र और प्रवेश-पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि में अंतर होता है तो, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
12	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा करना चाहिए।
13	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा दिल्ली पुलिस से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल दिल्ली पुलिस से संपर्क करना चाहिए।
14	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक(भूसै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
15	अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसलिए वे चयन प्रक्रिया में शारीरिक/मानसिक तौर पर पूर्णतः तैयार होकर भाग लें और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/ दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर भर्ती में भाग लेंगे।
16	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने सिर पर चोट (उभार/ फूलना) लगा लेता है अथवा अम्लिका (टेमारिन्ड) रख लेता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया जाएगा।
17	शा.द एवं मा.प के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी ऊर्जा प्रदान करने वाली दवा के सेवन से प्रभावित पाया जाता है तो उसे भर्ती के आगे की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।

18	शारीरिक माप परीक्षा के लिए हर केंद्र पर अपीलिय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/ या सहमत नहीं होता है तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित भर्ती केंद्र पर उसी दिन अपीलिय प्राधिकारी से अपील कर सकता/ सकती हैं। इस संबंध में अपीलिय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद आगे किसी भी अपील या प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।
19.	आवेदन पत्र के अंत में घोषणा की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। घोषणा-पत्र से सहमत होने/ उस पर हस्ताक्षर करने से पहले अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र में भरे गए विवरण और घोषणा-पत्र की विषय-वस्तु सावधानीपूर्वक पढ़नी चाहिए और जब वे इस बात से संतुष्ट हो जाएँ कि उनके द्वारा दी गई सूचना सही है, उन्हें तभी उससे सहमत होना /उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। किसी तथ्य को छुपाने/ गलत सूचना देने/ गलत घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने से उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अवर सचिव (नीति एवं योजना-II)
कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय)

अनुबंध-1

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

- घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
- ड) यदि आप किसी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
- क) मूलभूत विवरण
ख) अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
ग) घोषणापत्र
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
- क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख) क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 2ग और 2घ में करें।
- घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ड) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसीकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
ii. अनुक्रमांक
iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज) क्रम संख्या-7: लिंग (पुरुष/महिला)
- झ) क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)
- ञ) क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

- ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/ पंजीकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ) अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपके डाटा को सहेजा जाएगा तथा आपके पंजीकरण संख्या को आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प) क्रम संख्या-14: यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें। दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) (चालन संबंधी), 40% या अधिक की चालन संबंधी दिव्यांगता (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित): हां/नहीं। प्रमाण-पत्र संख्या दें।
- फ) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।
- म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
- य) मूलभूत सूचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' को बदला जा सकता है। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एकबारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।

7. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

अनुबंध-1 क (1/3)

एक बारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
1a. Aadhaar Number	<input type="text"/>
<small>Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card</small>	
1b. Verify Aadhaar Number	<input type="text"/>
1c. Type of ID *	<input type="text" value="Driving License"/>
<small>Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number</small>	
1d. ID Number *	<input type="text" value="BRHPK3731M"/>
2a. Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
<small>1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate 2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)</small>	
2b. Verify Name *	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
2c. Have you ever changed Name?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
2d. New Name / Changed Name	<input type="text"/>

3a. Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

02/01/1999

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▾

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▾

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

अनुबंध-1 क (2/3)

(iv). Verify Roll Number *

301739

(v). Year of Passing *

2013 ▾

(vi). Verify Year of Passing *

2013 ▾

7a. Gender *

Male Female Transgender

7b. Verify Gender *

Male Female Transgender

8. Level of Educational Qualification *

Graduation ▾

9a. Mobile Number *

8111111111

9b. Verify Mobile Number *

8111111111

10a. Email ID *

sample123@gmail.com

10b. Verify Email ID *

sample123@gmail.com

• State / UT of Permanent Address *

Delhi ▾

Save Reset Close

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE

VH: Blindness and low vision.

HH: Deaf and hard of hearing.

OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

अनुबंध-I क (3/3)

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

[Previous](#) [Save](#) [Next](#) [Reset](#) [Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

अनुबंध-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

- ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:
 - हाल का (परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने और बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए। **धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/ अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-ड में दिए गए हैं।**
 - जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **अस्पष्ट/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
 - अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
- अपने '**पंजीकरण संख्या**' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।

3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Head Constable {Assistant Wireless Operator (AWO)/Tele-Printer Operator (TPO)} in Delhi Police Examination-2022' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने लॉग-इन स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-15: यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत किसी जाति से संबंध रखते हैं तो 'Yes' का चयन करें। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए स्वीकार्य होगी जिन्हें केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित किया गया है। {विज्ञप्ति के पैरा 5.2 और पैरा 5 के नोट-1 का संदर्भ लें}।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप विधवा/तलाकशुदा/न्यायिक रूप से विच्छेद प्राप्त महिला हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 5.3 का संदर्भ लें)।
7. क्रम संख्या-17: यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 5.5 का संदर्भ लें)।
8. क्रम संख्या-18: यदि आप दिल्ली पुलिस में 'स्थाई' कॉन्स्टेबल हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं.3.3 का संदर्भ लें)।
9. क्रम संख्या-19: यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस कार्मिक/ मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 6 का संदर्भ लें)।
10. क्रम संख्या-20: यदि आपने ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि से पिछले तीन वर्ष के दौरान खेल में अपने राज्य का राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 5.4 का संदर्भ लें)।
11. क्रम संख्या-20.1: अपने खेल का नाम/ प्रकार चुनें (विज्ञप्ति के **अनुबंध-'क'** का संदर्भ लें)।
12. क्रम संख्या-21: कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) का माध्यम (हिंदी या अंग्रेजी) (विज्ञप्ति के पैरा 15.4 का संदर्भ लें)।
13. क्रम संख्या-22: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 14.1 का संदर्भ लें।
14. क्रम संख्या-23.1 से 23.6: यदि आप एक सेवारत या पूर्व सैनिक हैं, तो बिंदु संख्या 23.1 से 23.6 तक आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 7 का संदर्भ लें)।
15. क्रम संख्या-24.1 से 24.2: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो क्रम संख्या 23.2 पर आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या '5.7' का संदर्भ लें)।
16. क्रम संख्या-25.1 से 25.2: क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण-पत्र है? यदि 'हां' तो एनसीसी प्रमाण-पत्र का ब्योरा दें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 10.1 का संदर्भ लें)।
17. क्रम संख्या-26.1 से 26.2: क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र है? यदि 'हां' तो डिग्री/प्रमाण-पत्र का ब्योरा दें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 10.2 का संदर्भ लें)।

18. क्रम संख्या-27: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
19. क्रम संख्या-28: विज्ञान और गणित विषयों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्च माध्यमिक) उत्तीर्ण की है, तो निम्नलिखित विवरण भरा जाए:
- स्तर
 - उत्तीर्ण करने का वर्ष
 - राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का बोर्ड/विश्वविद्यालय
 - बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
 - अनुक्रमांक
 - प्रतिशतता
 - सीजीपीए
20. क्रम संख्या- 29.1 से 29.4: यदि आपके पास मेकानिक-सह-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूनिकेशन सिस्टम की ट्रेड में राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र है। निम्नलिखित विवरण भरें:
- ट्रेड संबंधित विवरण
 - जारी करने वाले प्राधिकारी/ संस्था का नाम।
 - प्रमाण-पत्र सं.
 - जारी करने की तिथि
21. क्रम संख्या-30: क्या आप कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था(ख) की शर्तों के अनुसार अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं रोजगार के अवसरों की जानकारी हेतु उपलब्ध करना चाहते हैं (Yes/No) (कृपया 'No' का चयन करें, चूंकि इस परीक्षा के लिए यह प्रावधान लागू नहीं है। अगर अभ्यर्थी 'Yes' का चयन करता है तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा)।
22. क्रम संख्या-31 तथा 32: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
23. कृपया अपनी नवीनतम फोटोग्राफ (अर्थात् परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने से अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसा कि ऊपर क्र.सं. 1क पर विनिर्दिष्ट किया गया है। **धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-ड में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ ले सकते हैं।**
24. उपर्युक्त क्र.सं.1ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। **धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
25. क्र.सं.33: अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड की गयी फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
26. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
27. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। **यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/ Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें।** जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन तथा सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें।
28. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

29. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई चालान तैयार करके एसबीआई की शाखा में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-12 का संदर्भ लें।
30. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे '**अनंतिम रूप से**' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि आपको ऑनलाईन आवेदन के संबंध में कोई शिकायत है, तो उसका निवारण करने के लिए ऑनलाईन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

अनुबंध-II क (1/3)

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	ADITYA XIIF
2. New / Changed Name:	ADIITYAF
3. Father's Name: (As per the Matriculation Certificate)	OPCF
4. Mother's Name: (As per the Matriculation Certificate)	VCF
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	02/07/1997
6. Age as on 01/07/2022:	24.11
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	No
9.1. If Yes, Type of Disability:	
10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	MOLEE
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	5609F
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2019
15. Do you possess OBC category certificate notified in the Central list or by the Govt. of NCT of Delhi:	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
16. Whether a widow/ divorced/ judicially separated women: Please refer to the Notice of Examination, Para-5.3	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
17. Whether Departmental Candidate of Delhi Police:* Please refer to the Notice of Examination, Para-5.5	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
18. Are you a Delhi Police confirmed Constable? : * Please see Para-3.3 of the Notice	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Verify whether you are Delhi Police confirmed Constable? : *	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
19. Whether Son/ Daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police:*	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

अनुबंध-II क (2/3)

20. Have you represented a State at the National level Yes No or the Country at the international level in sports during preceding 3 years from the closing of receipt of online applications.*

20.1. If Yes, Please select the Discipline of your Sport:
[Please see Para-5.4 of the Notice](#)

21. Medium for Computer Based Examination (CBE):*

Verify Medium for Computer Based Examination (CBE):

22. Preference of Examination Centres:*

23.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :* Yes No

23.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

23.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

23.4. Length of service in the Armed Forces:

23.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM): Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-7](#)

23.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

24.1. Whether seeking Age Relaxation? :* Yes No

24.2. If Yes, Age Relaxation code:
[Please see Para-5.7 of the Notice](#)

25.1. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? :* Yes No

Verify whether you are a NCC Certificate holder? : Yes No *

25.2. Type of the NCC Certificate: *

Confirm Type of the NCC Certificate:

26.1. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by Rashtriya Raksha University (RRU)? :* Yes No

26.2. If Yes, class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *

27. Highest Educational Qualification:*

28. Details of Qualifying Educational Qualification:*

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="--Select Statu"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="--Select Year-"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="--Select State--"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="--Select a Board/ Univers"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

29. Do you have a National Trade Certificate (NTC) ? Yes No

29.1. Trade belonging to:

29.2. Name of Issuing Authority/ Institution:

29.3. Certificate Number:

29.4. Date of Issue:

30. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(B) dated 21/06/2016? * Yes No
[Please see Para - 32 of the Notice](#)

31. Correspondence Address: HNO
 State: Delhi
 District: Central Delhi
 Pin Code: 110011

32. Permanent Address HNO
 State: Delhi
 Pin Code: 110011

Mobila Number: 7890679090
 Email: adityaxii@gmail.com

Photograph And Signature

Upload a photograph taken on or after

04-April-2022*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5 cm (height)

No file chosen

Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0 cm (height)

No file chosen

33. Whether the photograph has been taken on or after 04-April-2022? Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled.

3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.

I Agree



Try Another

खेलों की सूची

1. तीरंदाजी
2. दंगल
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाज़ी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी/ सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी
14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्रियाथलोन
21. वॉलीबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

प्रपत्र-2

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----के खेल में -----का राज्य संघ

(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर सहित

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री-----
श्री-----, जन्मतिथि----- निवासी-----
(पूर्ण पता)-----राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----
में दिनांक-----से-----तक आयोजित-----
खेल/प्रतियोगिता में----- राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

नाम-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता-----

मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

अनुबंध - 'ग'

प्रपत्र-1

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----का राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ

(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

पासपोर्ट आकार का फोटो
जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर सहित

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री-----
श्री-----, जन्मतिथि----- निवासी-----
(पूर्ण पता)-----प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----
में दिनांक-----से-----तक आयोजित-----
खेल/प्रतियोगिता में----- भारत देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----
दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----
राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----
पता-----
मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

अनुबंध - 'घ'

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ के पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ ग्राम/नगर _____ जिला/संभाग _____ राज्य _____ के _____ समुदाय से संबंधित हैं जो निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/68/93-बीसीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर, 1993 ।
भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 163 दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/94-बीसीसी, दिनांक 19.10.1994 ।
भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/7/95-बीसीसी, दिनांक 24 मई, 1995 ।
संकल्प सं 12011/96/94-बीसीसी, दिनांक 9 मार्च, 1996 ।
भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1996 ।
संकल्प सं 12011/13/97/-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर, 1997 ।
संकल्प सं 12011/99/94 -बीसीसी, दिनांक 11 दिसंबर, 1997 ।
संकल्प सं 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 ।
भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 270 दिनांक 6 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/88/98-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1999 ।
भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 71 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/36/99-बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल, 2000 ।
भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 210 दिनांक 21.09.2000 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/44/99-बीसीसी, दिनांक 21.09.2000 ।
संकल्प सं 12015/9/2000-बीसीसी, दिनांक 06.09.2001 ।
संकल्प सं 12011/1/2001-बीसीसी, दिनांक 19.06.2003 ।

संकल्प सं 12011/4/2002-बीसीसी, दिनांक 13.01.2004 ।

भारत के असाधारण राजपत्र भाग-1, खण्ड-1, सं 210 दिनांक 16.01.2006 में प्रकाशित संकल्प सं 12011/9/2004-बीसीसी, दिनांक 16.01.2006 ।

श्री/श्रीमती/कु० _____ और/अथवा उनका परिवार
सामान्यतः _____ राज्य के _____

जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.36012/22/93 स्था.-(एससीटी), दिनांक 08.09.1993 तथा भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.36033/3/2004 स्था.(आरक्षण) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

**जिला अधिकारी/उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी
(कार्यालय की मुहर सहित)**

टिप्पणी:

(क) यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

(ख) जाति प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अपर सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम की रैंक का न हो)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

अनुबंध - 'ड'

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र

की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____
निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के
_____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबन्धित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के पिता/माता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____
(कार्यालय की मुहर सहित)
स्थान _____
दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

**

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____ दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
_____ स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र _____ पिन कोड
_____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष
..... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख
रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I.5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II.1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम.....

अभ्यर्थी के हाल ही का
पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

* _____, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

अनुबंध-‘छ’

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____पुत्र/ पुत्री/
पत्नी _____श्री _____, गाँव _____, तहसील/तालुका _____ जिला _____ राज्य _____
_____ के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

* वह गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा श्रेणी से संबंध रखता/ रखती है और अभ्यर्थी असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का/की हैं।

*वह उत्तर पूर्व के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा और अभ्यर्थी गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) का/की हैं जिसमे दार्जिलिंग जिला के तीन उप-खंड दार्जिलिंग, कलिमपोंग, और क्यूसोंग मिला हुआ है और इन जिलों के निम्नलिखित ""मौज़ा" उप-खंड शामिल हैं:

(1) लोहागढ़ चाय बागान, (2) लोहागढ़ जंगल, (3) रंगमोहन, (4) बाराचेङ्गा, (5) पानिघाता, (6) छोटा अदलपुर, (7) पहरू, (8) सुकना जंगल, (9) सुकना भाग-I, (10) पंटापटी जंगल-I, (11) महानदी जंगल, (12) चंपासरी जंगल, (13) सालबरी छट भाग-II, (14) सितोंग जंगल, (15) सिवोक पहाड़ी जंगल, (16) सिवोक जंगल, (17) छोटा चेंगा, (18) निपनिया।

*वह अनुसूचित जनजाति के/की हैं।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अनुबंध- 'ज'

अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक के अभिभावक होने का प्रमाण-पत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक का नाम) रैंक _____ रेंज/ कॉन्स्टेबुलरी संख्या. / पीआईएस संख्या. _____ जिला/ इकाई में/से दिनांक को / से सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ _____ से _____ हैं। उनका/ उनकी पुत्र/ अविवाहित पुत्री _____ (नाम) दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहता/ चाहती हैं।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

अनुबंध- 'झ'

अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक का नाम), रेंज/ कॉन्स्टेबूलरी/ बेल्ट संख्या _____ और पीआईएस संख्या _____ दिल्ली पुलिस में दिनांक _____ को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में _____ दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) पुरुष/ महिला भर्ती की परीक्षा में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये दिनांक _____ को परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरी कर चुके हैं और अपने/ अपनी सेवा के दौरान इन्हे.....बड़ी शास्ति औरछोटी शास्ति दी गई है। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है (अगर है तो उसकी वर्तमान स्थिति बताएं)।

संबन्धित जिला/ इकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

टिप्पणी:- 'विभागीय अभ्यर्थी' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की आखिरी तिथि** तक दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की है और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक एवं अन्य शारीरिक योग्यताएँ पूरी करते हों।

**दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) के पद की भर्ती
पीई एंड एमटी-शीट**

अनुक्रमांक सं.-	नाम:
जन्म तिथि -	पिता का नाम:
के अनुसार आयु _____	लिंग: महिला/पुरुष :
	श्रेणी :
	पीई एंड एमटी दिनांक :
	पीई एंड एमटी केंद्र :

शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा शीट

अभ्यर्थी हेतु:

अपने मुक्त हस्तलेख में प्रमाणीकरण वक्तव्य लिखें और हस्ताक्षर करें :

“मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम और अनुक्रमांक इस प्रवेश पत्र में है”

कृपया

माता का नाम लिखें _____

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर _____

शारीरिक दक्षता परीक्षा

विवरण	अर्हताप्राप्त	गैर अर्हताप्राप्त-	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	संचालन करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद
दौड़				
लंबी कूद				
ऊंची कूद				

अभ्यर्थी का शारीरिक माप

विवरण	ऊंचाई	सीना	सीना (.मी.से)	पूरी की गई /	अभ्यर्थी के	माप करने वाले
-------	-------	------	---------------	--------------	-------------	---------------

	(.मी.से)	(.मी.से)	फुलाने पर	पूरी नहीं की गई	हस्ताक्षर	अधिकारी का नाम एवं पद
प्रथम माप						
अपील के बाद						

मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन

जमा कर दिए गए हैं (हां अथवा नहीं)					
क- शैक्षणिक योग्यता	हां अथवा नहीं	टिप्पणी	घ- अनिवार्य अपेक्षा	हां अथवा नहीं	टिप्पणी
(i) जन्म तिथि हेतु मैट्रिक प्रमाणपत्र			इ- भूतपूर्व सैनिक		
(ii) 10+2 (उच्च माध्यमिक) अथवा मैकेनिक – सह - ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के ट्रेड में प्राप्त राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र (एनटीसी)			(i) सेवामुक्ति की तारीख (ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से दो वर्ष के भीतर होनी चाहिए)		
(iii) स्नातक बीए/बी.कॉम/बी.एससी _____ बी. टेक _____ अन्य _____					
(iv) स्नातकोत्तर, यदि कोई है			(ii) एनओसी के मामले में (प्रस्तुत सेवामुक्ति की तारीख ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए)		
क- अजा/अजजा/अपिव/आकव प्रमाणपत्र			च. क्या आप विभागीय अभ्यर्थी हैं, यदि हां:- दिल्ली पुलिस में भर्ती की तारीख _____		
ख-1 पुलिस अभिभावकता प्रमाणपत्र			छ. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय(आरआरयू) द्वारा प्रदत्त डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा, यदि है तो डिस्टिंक्शन/प्रथम/ द्वितीय/ उत्तीर्ण की तिथि		
एनसीसी प्रमाणपत्र – क/ख/ग संख्या _____ दिनांक _____					
ग- खेल प्रमाणपत्र (ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से तीन साल पूर्व के खेलों					

में)					
(i) राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व _____ (ii) खेल का नाम _____					
(i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व _____ (ii) खेल का नाम _____					
दस्तावेज सत्यापन के पश्चात (जो लागू हो उसे चिह्नित करें)	पूरी की गई	पूरी नहीं की गई	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान	दस्तावेज सत्यापन करने वाली टीम के प्रभारी का नाम और रैंक	
दस्तावेज सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम और रैंक					
<p>शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद)/ शारीरिक मापदंड परीक्षा (ऊंचाई एवं सीना)/ दस्तावेज सत्यापन के मामले में अयोग्य पाए जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने हेतु। मैं पात्रता पूरी नहीं कर पाया/पाई हूं। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर _____</p>					

सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

निरस्तता पर्ची (अभ्यर्थी की प्रति)

दिनांक
अनुक्रमांक सं.
अभ्यर्थी का नाम

दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) के पद की भर्ती परीक्षा _____(वर्ष) के लिए आपकी अभ्यर्थिता निम्नलिखित आधार पर निरस्त की गई है :-

1. बायोमेट्रिक सत्यापन में अयोग्य (फोटो तथा बाएं अंगूठे का निशान मेल नहीं खाता)।
2. जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन हेतु 10वीं/12वीं कक्षा के मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
3. मूल जाति प्रमाणपत्र (अर्थात अजा/अजजा/अपिव/आकव) सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर/जारी नहीं किया गया है और अभ्यर्थी के लिए अनारक्षित मानकों पर विचार नहीं किया जा सकता।
4. मूल खेल का प्रमाण पत्र/ पहाड़ी क्षेत्र प्रमाणपत्र/ पुलिस कर्मों का अभिभावकता का प्रमाण-पत्र/ निर्वहन पुस्तक/एनओसी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कोई अन्य विसंगति पाई गई (उल्लेख करें):

टिप्पणी: तथापि आप अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज 05 कार्यदिवस के भीतर अर्थात _____ तक अपनी अभ्यर्थिता को मेरिट के आधार पर पुनर्विचार हेतु जमा कर सकते हैं।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/ भर्ती बोर्ड

अर्हता पर्ची (अभ्यर्थी की प्रति)

दिनांक
अनुक्रमांक सं.
अभ्यर्थी का नाम

आपने दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) _____ (वर्ष) के पद हेतु शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष/ भर्ती बोर्ड

अनुबंध- 'ट'

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____
(रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में अपनी
नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

अनुबंध-‘ठ’

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं _____, अनुक्रमांक _____ परीक्षा,
20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का पात्र नहीं हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुबंध-‘ड’


फोटोग्राफ के नमूने
स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने
बहुत नजदीक



धुंधले फोटोग्राफ



टोपी के साथ




अत्यधिक रंगीन



उल्टी फोटो

अत्यधिक गहरा रंग

धूप वाले चश्मे के साथ




तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ



आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक/10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए. (आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एससी. (इंजी.)	32
एम.सी.ए.	33
एम.बी.ए.	34
अन्य	35